प्रेस नोट सं0-18

दिनांक- 15.10.2025

सराहनीय कार्य थाना संग्रामपुर

12 घण्टे में हत्या के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्तों की निशानदेही पर आलाकत्ल दाना भुनने वाला धारदार नुकीला हसिया व डण्डा (फावड़े का बेट) बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 14.10.2025 को वादी श्री पवन यादव पुत्र स्व0 रामयश यादव निवासी ग्राम पूरे घुइसर मजरे पड़री थाना गौरीगंज जनपद अमेठी द्वारा थाना संग्रामपुर पर लिखित तहरीर दी गयी कि उनका पुत्र राहुल अपने मित्र चन्दन के साथ खुर्दिहा भौसिंह चन्दन के मामा के घर घूमने गया था। जहां भौसिंह अग्रेजी शराब ठेका के पास ठेलिया पर दाना भुजाने की बात को लेकर विवाद व मारपीट हो गयी जिसमें चन्दन घायल हो गया और उनके पुत्र राहुल की मृत्यु हो गयी। उक्त सूचना पर मु0अ0सं0 205/25 धारा 103(1), 115(2), 109, 118(1) बीएनएस थाना संग्रामपुर पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही थी एवं घटना में शामिल अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक अमेठी द्वारा संबंधित को आवश्यक आदेश-निर्देश दिये गये थे।

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्रीमती अपर्णा रजत कौशिक के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 15.10.2025 को क्षेत्राधिकारी अमेठी श्री मनोज कुमार मिश्रा के कुशल नेतृत्व में थाना संग्रामपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 205/25 धारा 103(1), 115(2), 109, 118(1) बीएनएस थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी में वांछित 02 अभियुक्त 1.अशोक पुत्र वासुदेव निवासी ग्राम संग्रामपुर थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी उम्र करीब 42 वर्ष, 2.जियालाल पुत्र स्व0 पंचू निवासी खुर्दिहा मजरे भौसिंहपुर थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी उम्र करीब 62 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त अशोक ने बताया कि वह अमेठी संग्रामपुर मेन रोड पर अंग्रेजी शराब की दुकान के सामने जियालाल के खेत के पास दाना भुनने का ठेला लगाता है। दिनांक 14.10.2025 को रात्रि समय करीब 08.30 बजे वह और जियालाल ठेले के पास बैठकर शराब पी रहे थे तभी ग्राम खुर्दिहा भौसिंहपुर रिश्तेदारी में आया चन्दन व एक व्यक्ति (मृतक राहुल) जल्दी भूजा बनाने को कहने लगे। जल्दी भूजा न बनाने पर वह दोनों लोग विवाद और हाथापाई करने लगे तभी जियालाल ने ठेले पर रखे डण्डा (फावड़े का बेट) से चन्दन के सर पर मार दिया और उसने दाना भुनने वाले हसिया से चन्दन पर वार कर दिया जिससे चन्दन वहां से भाग गया। राहुल (मृतक) अकेला रह गया जिसको जियालाल डण्डा (फावड़ा के बेट) से मारने लगा और वह दाना भुनने वाले धारदार नुकीले हसिया से राहुल के सीने पर कई वार कर दिया जिससे वह गिर गया जिससे चन्दन शोर मचाने लगा तो वह और जियालाल वहां से भाग गये। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल दाना भुनने वाला धारदार नुकीला हसिया व डण्डा (फावड़े का बेट) को घटनास्थल के पास झाड़ियों से बरामद किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में थाना संग्रामपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता –

1. अशोक पुत्र वासुदेव निवासी ग्राम संग्रामपुर थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी उम्र करीब 42 वर्ष।
2. जियालाल पुत्र स्व0 पंचू निवासी खुर्दिहा मजरे भौसिंहपुर थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी उम्र करीब 62 वर्ष।

बरामदगी- आलाकत्ल

1. दाना भुनने वाला धारदार नुकीला हसिया।
2. 01 डण्डा (फावड़े का बेट)।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 205/25 धारा 103(1), 115(2), 109, 118(1) बीएनएस थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. श्री अखिलेश सिंह प्रभारी निरीक्षक संग्रामपुर जनपद अमेठी।
2. हे0का0 अरूण कुमार थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी।
3. का0 नरेन्द्र कुमार थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी।